न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 27 / 2018

अपीलांट–

रूपाराम पुत्र मेहराजराम जाति जाट निवासी नारायणपुर (सड़ा), तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार सिणधरी
2. डालूराम पुत्र मेहराजराम
3. जगमालराम पुत्र ठाकराराम
4. मेघाराम पुत्र ठाकराराम
5. केहराराम पुत्र ठाकराराम
6. श्रीमती भीखीदेवी पत्नी ठाकराराम
7. फूसाराम पुत्र कानाराम
8. भेराराम पुत्र कानाराम
9. गोमाराम पुत्र कानाराम
10. कुम्भाराम पुत्र सोनाराम

जातियान जाट निवासी नारायणपुरा (सड़ा), तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : 306 दिनांक 27.06.2017 जो अपीलांट व उत्तरदाता सं. 2 से 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 2 से 10 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:22 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 27 / 10 / 2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा भूमि

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा नारायणपुर के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा क्रमशः 118–16 बीघा भूमि के खातेदारान डालू, रूपा पि0 मेहराज हि0 1/2, जगमालराम, मेघाराम, केहराराम पि0 ठाकरराम, भीखीदेवी पत्नी ठाकरराम फूसाराम, भेराराम, गोमाराम पि0 कानाराम, कुम्भा वल्द सोना हि0 1/2 कौम जाट साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2017 तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी सडा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है एवं मौके पर खातेदारान विभाजन प्रस्ताव अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 306 दिनांक 27.06.2017 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:22 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्ता एवं

जिला कलक्टर बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार में उतरदातागण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया तथा हल्का पटवारी पर विश्वास कर उसके द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार सिणधरी के समक्ष पेश हुए। अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट को तलब कर नक्शे में आवंटित भूभाग की स्थिति से अवगत नहीं करवाया तथा विभाजन अपीलांट के कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ। राज्य सरकार के विभाजन के मामलों में स्पष्ट नीति है कि आवागमन के रास्ते का लाभ सभी पक्षों को प्राप्त हो जबकि अपीलाधीन विभाजन में खसरा नम्बर 139 के सेढ़े पर चलता है उसे अन्य समस्त खातेदारान को देकर अपीलांट को इससे वंचित कर दिया है जिससे अपीलांट के सुखाचार प्रभावित हुये हैं। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव को हल्का पटवारी द्वारा मौके की वस्तुस्थिति एवं कब्जा–काश्त व रहवासीय ढाणियों की स्थिति में ध्यान में नहीं रखा तथा कार्यालय में ही बैठकर तैयार कर किया गया। इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा मे तरमीम करने मे राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:22 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने [illegible] निवेदन किया कि अपीलांट को जब एक माह पूर्व उत्तरदाता [illegible] के घर पर आने वाली पानी की टंकी को रास्ते में आने नहीं दिया गया तब पता चला कि नक्शे में रास्ते की सुविधा किस प्रकार से दी गई है। इस प्रकार विभाजन आदेश की

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नकल प्राप्त की तब दिनांक 19.04.2018 को इस विभाजन आदेश का ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि सम्यक तत्परता व सद्भावना से पेश की हैं फिर भी कानूनी प्रावधानों की पूर्ति हेत धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 27.06.2017 निरस्त कर विवादित आराजी का मौके पर पक्षकारान की सहमति एवं कब्जे–काश्त अनुसार सभी को रास्ते की सुविधा प्रदान करते हुये बंटवाड़ा करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स की तलबी हेतु जारी नोटिस बावजूद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय सुना गया।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2017 तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में चली गई हैं एवं उसे रास्ते की सुविधा नहीं दी गई है जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर / अंगुष्ठ छाप अंकित कराये गये हैं। हस्तगत प्रमाण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार सिणधरी के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। पक्षकारान द्वारा उक्त विभाजन कराने के बाद अपने-अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 1 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु पेश कर रहे हैं। अपीलांट द्वारा एकबार सहमति प्रदान करने के पश्चात रास्ते की सुविधा के आधार पर सहमति विभाजन इकरारनामा के तस्दीक आदेश के विरूद्ध धारा 225 के अधीन अपील कतई अनुज्ञेय नहीं हैं साथ ही अपीलांट द्वारा एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल-कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार सिणधरी के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 222 के तहत अनुज्ञेय नहीं होने के साथ ही सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील विधि के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय नही होने एवं सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:22 IST
Reason: SelfAttested

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर